संख्या–1706/V–2/98(आ0)16/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 16 [redacted], 2016

आवास अनुभाग–2

विषय– वित्तीय वर्ष 2016–17 में मैट्रो ट्रेन का सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 हेतु रूपये 03.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या–430/V–2/2016–06(आ0)/2016, दिनांक 16.03.2016 द्वारा उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया गया है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में मैट्रो ट्रेन का सर्वेक्षण/डी0पी0आर0 हेतु बजट प्रविधान के सापेक्ष 03.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नांकित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। उक्त धनराशि मैट्रो ट्रेन हेतु प्रथम चरण में डी0पी0आर पर व्यय की जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं तद्विषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्व हेतु निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(6) प्रशासकीय व्यय एवं प्रस्तावित डी0पी0आर0 की सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, देहरादून के हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक"2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–अन्य व्यय–12–मैट्रो ट्रेन का सर्वेक्षण/डी0पी0आर0–42–अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 862 /XXVII(2)/2016, दिनांक 16 .11. 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

( आर0 मीनाक्षी सुन्दरम )
सचिव

क्रमशः पृष्ठ–02

संख्या–1706/V–2/98(आ0)16/2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

10. निजी–सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम) उत्तराखण्ड ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
12. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
13. निजी सचिव–मा0 आवास मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
14. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
16. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
17. वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन
18. एन0आई0सी0/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।